समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्य एवं दायित्व

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी :

समेकित बाल विकास सेवा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु प्रत्येक जिले में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों का कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया है :

1. जिला में समेकित बाल विकास सेवा योजना के सफल कार्यान्वियन/समन्वय/प्रबोधन एवं मूल्यांकन का कार्य सीधे जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में करेंगे।

2. जिला अन्तर्गत परियोजनाओं में कार्यरत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। सरकार/निदेशालय/प्रमंडल स्तर से किसी भी कर्मचारी की सेवा सीधे जिला को उपलब्ध करा दी जायेंगी जिसे परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार उनका पदस्थापन जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी करेंगे।

3. जिला अन्तर्गत सभी बाल विकास परियोजनाओं के कार्यकलाप, लेखा संधारण आदि सभी मामलों का गहन अनुश्रवण, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उसमें त्रुटि पाये जाने पर उससे संबंधित विस्तृत जानकारी निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय को उपलब्ध कराना, उनका उत्तरदायित्व होगा।

4. प्रत्येक माह निर्धारित तिथि को जिला अन्तर्गत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की मासिक बैठक बुलाना, जिसमें सभी कार्यों यथा – आई.सी.डी.एस. निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिवेदनों/न्यायालयवाद/लंबित अंकेक्षण आपत्तियों/लोक सभा, विधान सभा, विधान परिषद्/आश्वासन, निवेदन, याचिका समिति आदि/परियोजना पदाधिकारी का कोषागार प्रशिक्षण/बर्त्तन, उपस्कर, उपकरण की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति/ए0सी0, डी0सी0 विपत्र का उपस्थापन/वाहन की उपलब्धता, परिचालन/परियोजना में कर्मियों की उपलब्धता एवं पदस्थापन/आँगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय सह गोदाम भवन, चापाकल आदि का निर्माण/विभागीय मार्गनिदेश के आलोक में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन एवं प्रशिक्षण/टीकाकरण एवं पोलियो उन्मूलन अभियान/आँगनबाड़ी केन्द्र (स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र, 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए) में पंजीकृत तथा लाभान्वित बच्चों का उचित समय पर निकटतम प्राथमिक विद्यालय में शत्–प्रतिशत नामांकन/संदर्भ सेवाएँ/पूरक पोषाहार कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग के बच्चों की संख्या एवं उपस्थिति आदि से संबंधित सभी बिन्दुओं पर प्रत्येक माह के मासिक बैठक में गहन समीक्षा करना तथा बेहतर प्रगति हेतु आवश्यकतानुसार दिशानिर्देश देना।

5. जिले के सभी परियोजनाओं में आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय एवं पूरक पोषाहार (टेक होम राशन सहित) के संचालनार्थ राशि का कोषागार से ससमय निकासी एवं व्यय सुनिश्चित कराना।

6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के योगदान/विरमित/आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना। मासिक भ्रमण/दैनन्दिनी/यात्रा भत्ता विपत्र प्रतिहस्ताक्षरण आदि स्थापना संबंधी कार्यों का निर्वहन।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्वीकृत किये गये आकस्मिक अवकाश की सूचना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को दी जायेगी।

7. जिला अन्तर्गत पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के प्रतिवेदी पदाधिकारी के रूप में कार्य करना। समीक्षी पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना पूर्ववत रहेंगे।

8. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं परियोजना के अन्य कर्मचारी अपने मुख्यालय में ही रहें, इसे सुनिश्चित कराना।

9. बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों का सदुपयोग एवं विभागीय पत्रांक 1767 दिनांक 12.07.2005 द्वारा निर्धारित आँगनबाड़ी केन्द्रों का उनके द्वारा निरीक्षण सुनिश्चित कराना।

10. टेक होम राशन (टी0एच0आर0) का सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शत्–प्रतिशत वितरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराना।

11. आँगनबाड़ी केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उसकी जाँच/संबंधित सेविकाओं/सहायिकाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार चयनमुक्त करने संबंधी कार्रवाई करना।

12. चयनमुक्त करने संबंधी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा।

13. जिला अन्तर्गत संचालित समेकित बाल विकास सेवा योजना से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों की गुणवत्ता में सुधार एवं उसकी उपयोगिता के मद्देनजर आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों का नियमित अनुश्रवण/मूल्यांकन/निरीक्षण कर निदेशालय को प्रतिवेदित करना प्रशिक्षण केन्द्रों की संतोषप्रद कार्यकलाप के आधार पर नियमानुकूल उनको भुगतान सुनिश्चित करना।

14. बिहार कार्यपालिका नियमावली संशोधन अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 के द्वारा आकस्मिक अवकाश एवं अध्ययन अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की स्वीकृति वर्ग 3 एवं 4 के कर्मियों का नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है। ध्यातव्य हो कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत परियोजना राज्य के सुदुरवर्ती प्रखंडों में संचालित है जहाँ कार्यरत वर्ग 3 एवं 4 के कर्मियों को विशेषकर एक माह की उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है एवं एक माह से अधिक के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति पूर्ववत् नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा।

15. इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करना।

16. प्रत्येक माह क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से 2 बाल विकास परियोजना कार्यालय, 2 महिला पर्यवेक्षिका तथा 5 आँगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण करना इस प्रकार से निर्धारित करना है ताकि वर्ष में सभी परियोजना कार्यालयों का अनुश्रवण होना सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ : समाज कल्याण विभाग का पत्रांक 2723 दिनांक 25.07.2008 जो अनुलग्नक–7.1 के रूप में मार्गदर्शिका के पृष्ठ सं0 204–205 पर संलग्न है